न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 10/23 (225 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2023/79

उनवान

1. सोमावती पत्नी किशन सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर। .....अपीलाण्ट

बनाम

1. रामदुलारी पत्नी जण्डैल सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम रानपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर। ..... असल रेस्पोडेण्ट
2. गुड्डी पत्नी पप्पू जाति काछी निवासी भूरा का पुरा बीजासेन माता के पास बाडी जिला धौलपुर।
3. राजनदेई पत्नी रामजीलाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रानपुर तहसील बाडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी। ..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी, बाडी दिनांक 01.02.2023 प्र0स0 03/20 उनवान रामदुलारी बनाम सोमावती।

अभिभाषकगण :–
1. वकील अपीलाण्ट श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री हरवीर सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 29.07.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी के निर्णय दिनांक 01.02.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/रैस्पो0 खसरा नम्बर 353 रकवा 02 बीघा 18 विस्वा स्थित कस्बा बाडी नं0 1 तहसील बाडी जिला धौलपुर में 44/58 भाग की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है तथा शेष 12/58 भाग के अप्रार्थी/तरतीवी रैस्पो0 संख्या 03 खातेदार है। प्रार्थी रैस्पो0 द्वारा मायादेवी पत्नी मोहन सिंह का हिस्सा 2/58 जरिये

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 15.01.2020 को क्रय किया जा चुका है। प्रार्थी रैस्पो0 के खेत खसरा नम्बर 535 के पूर्वी ओर सटा हुआ खसरा नम्बर 535/6207 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा स्थित है। जिसके अभिलिखित खातेदार अप्रार्थी अपीलाण्ट 3/4 भाग तथा अप्रार्थी तरतीवी रैस्पो0 संख्या 02 गुड्डी शेष 1/4 भाग के खातेदार हैं। उक्त खसरा नम्बर में होकर बाडी से रानपुर गॉव के लिये उत्तर से दक्षिण सडक निकली हुयी है। प्रार्थी रैस्पो0 के खेत खसरा नम्बर 535 की पूर्वी भुजा से मात्र करीब 100 फीट की दूरी पर बाडी से रानपुर जाने वाली सडक लगी हुयी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खेत खसरा नम्बर 535 की पूर्वी मेढ से सडक तक अप्रार्थी अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 535/6207 में से 30 फुट चौडा रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2023 से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहाराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि खसरा नम्बर 535 रकवा 2 बीघा 18 विस्वा वाके ग्राम बाडी में वादी व प्रतिवादी दोनों ही खातेदार हैं एवं उक्त आराजी में रास्ता है जिसका विवाद है। यह है कि विवादित आराजी के मूल खातेदार राधे, बन्ने पुत्रगण सुम्मेरा ने माया देवी पत्नि मोहन सिंह को 14 विस्वा आराजी का विक्रय पत्र किया। जिसमें 02 विस्वा आराजी रास्ते हेतु दक्षिणी दिशा में पूर्व से पश्चिम तक रास्ता के लिये छोडी गयी। रैस्पो0 ने मायादेवी पत्नी मोहन सिंह का 2/58 हिस्सा खरीदना बताया है वह गलत है क्योंकि मायादेवी अपने 2/58 हिस्से को पहले ही रास्ता के लिये समर्पित कर चुकी थी। स्वयं रैस्पो0 व माया देवी ने वाद संख्या 43/18 रामदुलारी बनाम राजनदेवी में इकबाल दावा में यह स्वीकार किया है कि माया देवी ने अपने 2/58 हिस्से को रास्ते के लिये समर्पित कर चुकी है अतः जो वयनामा रैस्पो0 ने मायादेवी से कराया है वह प्रारम्भ से ही शून्य है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना सुने एक पक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट अगूँठा लगाती है, हस्ताक्षर नहीं करती। जबकि इकबाल दावा में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर हो रहे हैं। जवाब दावा फर्जी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाधीन आदेश दोनों पक्षो की उपस्थिति में पारित हुआ है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इकवाल दावा प्रस्तुत किया है। यदि इकवाल दावा फर्जी था तो अपीलाण्ट ने आदिनांक तक कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। जबकि अपीलाण्ट की उपस्थिति में फैसला हुआ है। अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। झगडा रास्ते का नहीं अपितु आपसी रंजिश का है। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ता उत्तर से दिया जो सबसे सुगम व सबसे छोटा है। जवाव दावा में 10 फुट रास्ता उत्तर दिशा से देने को तैयार हैं का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहमति से रास्ता दिया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

गुडडी का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा है उसने तो कभी एतराज नहीं किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं एवं दोनों पक्षो की उपस्थिति/सहमति से रास्ता दिया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अपीलाण्ट की यह आपत्ति की माया देवी ने विवादित आराजी रकवा 2 विस्वा पूर्व से रास्ते के लिये समर्पित कर दी थी। अतः वह विवादित आराजी में आने जाने के लिये अलग से रास्ता नहीं मॉग सकती। हमने मनन किया। उक्त तथ्य को अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब दावा में उठाया गया है। परन्तु उनके द्वारा बाद में अपने जवाब दावा की मद संख्या 4 में प्रार्थी/रैस्पो0 को अपनी आराजी खसरा नम्बर 535/6207 रकवा 01 बीघा 12 विस्वा की उत्तरी मेड से होकर 10 फुट का रास्ता कीमतन देने की स्वीकृति दी गयी है। लिहाजा अपनी स्वयं की स्वीकृति के होते उक्त आपत्ति स्वतः ही सारहीन हो जाती है। अपीलाण्ट वर्तमान में हस्तगत अपील के माध्यम से पुनः उन्हीं तथ्यो पर आपत्ति कर रहे हैं, जब उक्त आपत्तियों पर सुनकर एवं उनकी स्वयं की स्वीकृति से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता दिया गया है, तो वह अपील के माध्यम से उन्हें कैसे चुनौती दे सकते हैं। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित रहे हैं। अपीलाण्ट की यह आपत्ति की उक्त जवाब दावा उनके द्वारा नहीं दिया गया है, सारपूर्ण नहीं है। यदि जवाब दावा उनके द्वारा नहीं दिया गया था तो उनकें द्वारा रैस्पो0 अथवा उनके अभिभाषक के विरूद्ध आदिनांक तक कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। अतः उक्त तथ्य तब तक सत्य माना जावेगा, जब तक की अपीलाण्ट इसे किसी दस्तावेजी साक्ष्य से झूठा साबित नहीं कर देते। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षो की विधिवत सुनवाई करते हुये मौके की तहसीलदार से रिपोर्ट तलव करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2023 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर